

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

पत्रांक – वि० प्रा० (I) स्था०-०७/२०१७/

/पटना, दिनांक—

बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-210 दिनांक-07.03.2017 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान— पीबी रु० 15600-39100 + एकेडिमिक ग्रेड पे रु० 5400/- में व्यख्याता रसायनिक अभियंत्रण (Chemical Technology) के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए कॉलम-6 के सामने अंकित राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में पदस्थापित किया जाता है :—

| क्रमांक | नाम | पत्राचार का वर्तमान पता | संयुक्त मेधा क्रमांक | आरक्षण कोटि | पदस्थापित रा०पो०/रा०म०पो० का नाम |
|---------|------------|---|----------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री जयरजन | S/o- जयनारायण पासवान, म.स.-175, रोड सं.- 04, प्रेम नगर, सिंध मोड़, हटिया, रॉची, झारखण्ड। | 1 | सामान्य | राजकीय पोलिटेक्निक बरौनी, बेगूसराय |

2. नियुक्त अभ्यर्थी इस अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपना योगदान पदस्थापित राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वारथ्य प्रमाण-पत्र प्राचार्य को समर्पित करेंगे।
4. नियुक्त व्याख्याताओं (रसायनिक अभियंत्रण) की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के संयुक्त मेधा क्रम के अनुसार निर्धारित होगी।
5. अभ्यर्थी जिले के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र, पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण-पत्र में वांछित सूचनाएँ अंकित करते हुए एवं अनुमण्डलीय दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी के शपथ-पत्र के साथ सभी कागजात प्राचार्य के समक्ष उपरस्थापित करेंगे(विहित प्रपत्र विभागीय बेवसाईट www.dst.bih.nic.in पर उपलब्ध है)।
6. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपना जन्म-तिथि/शिक्षण कार्य का अनुभव/शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जन्म तिथि के प्रमाण-पत्र के रूप में मैट्रिक के प्रमाण-पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आरक्षण कोटि से संबंधित जाति प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित अभिलेख संबंधित प्राचार्य के समक्ष योगदान के समय समर्पित करेंगे। प्राचार्य द्वारा पूर्णतया जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे तथा संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान/ कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। यदि किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उनकी सूचना प्राचार्य द्वारा तत्काल विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा विभाग द्वारा नियुक्ति को बिना किसी कारण पृच्छा के समाप्त कर दी जायेगी।

7. प्राचार्य अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त की जॉच अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगें।

8. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के मूल आवेदन पत्र साक्षत्कार के समय समर्पित आवेदन पत्र का सार एवं अनुलग्नक यथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र, जन्म तिथि के प्रमाण—पत्र के रूप मैट्रिक के प्रमाण—पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र एवं जाति प्रमाण—पत्र की सत्यापित छायाप्रति जो विभाग को उपलब्ध कराया गया है, की छायाप्रति संलग्न कर प्राचार्य को भेजी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (I) रथा०-०७/२०१७/ /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि — प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी० डी० सहित) प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (I) रथा०-०७/२०१७/ /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त एवं वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (I) रथा०-०७/२०१७/

965 /पटना, दिनांक *20-५-२०१७*

प्रतिलिपि — माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित अभ्यर्थियों/सभी पदाधिकारियों एवं आई० टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

20/५/१७